

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2011—श्रावण 6, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्र. एफ. 3-10-2011-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्द्वारा, जबलपुर संभाग की संभागीय सतर्कता समिति में श्री सी. एस. दवे को सदस्य के पद पर दिनांक 7 अगस्त 2011 से 11 अप्रैल 2013 तक की अवधि के लिये पुनः नियुक्त करती है.

No. F. 3-10-2011-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981, the State Government on the recommendation of the Lokayukta, hereby re-appoint Shri C. S. Daway as member in the Divisional Vigilance Committee, Jabalpur Division, for the period of dated 7th August 2011 to 11th April 2013.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.